संख्याः-28/2017/320 /अड़तीस-9-17-05(रिट)/2014

प्रेषक,

एन0एस0रवि
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 04 जुलाई 2017**

विषयः विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष योजित सिविल अपील संख्या-11004/2016 लोक प्रहरी (द्वारा महासचिव श्री एस0एन0 शुक्ला) बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-21.11.2016 को निस्तारित करते हुये पारित किये गये आदेश/निर्णय का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

"--------Hence, while we are of the view that there can be no objection to the state implementing a scheme of the nature that was upheld by the Constitution Bench in Bhim Singh, the safeguards which form a part of the MPLAD Scheme should be duly considered so as to ensure that the role which is ascribed to the district planning authorities and institutions of local self-governance is not denuded. The safeguards which must be introduced shall include the following :

(i) The role of the elected representatives would be to recommend the work of a developmental nature in their constituencies within the budget allotted under the Scheme;

(ii) The feasibility of the work, estimate of funds, selection of the implementing agency and supervision of work must be independently determined by a nominated authority or body of the State Government;

(iii) Panchayati raj institutions in rural areas and municipal bodies in urban areas may be considered as preferred implementing agencies having regard to the entrustment of responsibilities under parts IX and IXA of the Constitution;

(iv) The plans prepared by the District Planning Committees under Article 243ZD read with the UP District Planning Committee Act, 1999 may be made available by every district Collector to elected representatives to enable them to decide whether any developmental work which has already been identified in the above plan should be executed in pursuance of the funds made available under the Vidhayak Nidhi Scheme; and

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) Sufficient safeguards should be provided to ensure against conflicts of interest such as the allocation of funds to institutions controlled by an elected representative or a member of his or her family; and

(vi) The scheme must include sufficient safeguards to ensure financial transparency, such as proper supervision of work, monitoring quality and timely completion besides procedures to ensure proper audit and utilization of funds.

21. We are in agreement with the view of the High Court that the Vidhayak Nidhi Scheme does not per se violate Article 243ZD or the U.P. District Planning Committees Act, 1999. Elected representatives have a vital role in democracy. They have an intrinsic connection with their constituencies and have a legitimate role to discharge in meeting the development needs of their constituencies. Article 243ZD does not exclude their role. On the contrary, they perform a supplemental role by enhancing and supporting the work of the institutions of local self-governance. However, it is in our view necessary that the guidelines which have been formulated by the State Government are revisited and the directions set out above are complied with so as to ensure that the guidelines are in conformity with the spirit and underlying purpose of Parts IX and IXA of the Constitution in terms as held by the Constitution Bench of this Court in Bhim Singh. The revised guidelines shall apply to all projects to be undertaken hereafter under the Vidhayak Nidhi Scheme. This exercise shall be completed by the State Government not later than a period of two months from the receipt of the present judgment. The appeal shall accordingly stand disposed of in the above terms. There shall be no order as to costs.**"**

2- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उकत निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त **विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-1.2, 2.1, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2 एवं परिशिष्ट-2 के बिन्दु संख्या-8(क)** में निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये व्यवस्था के अनुसार संशोधन/प्रतिस्थापन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
वर्तमान व्यवस्था	**एतद्द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था**
प्रस्तर-1.2 इस योजना के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष रू0 150.00 लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराने का प्रस्ताव देंगे।	**प्रस्तर-1.2** मा0 विधान मण्डल के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आवंटन की सीमा (रू0 1.50 करोड़) तक कार्यों की अनुशंसा करें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देशों में दिये गये प्राविधानों एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु स्थापित कार्य विधि के अनुसार अनुमन्य स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित करायेंगे।
प्रस्तर-2.1 एवं 3.5 विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	**प्रस्तर-2.1 एवं 3.5** विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/ निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हे इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत सेंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेंगी परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को जिन्होने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं किया हैं, पुनः सम्मिलित नही किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वयं सेवी संगठनों (**NGO's**)/ निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।	अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/ निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हे इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत सेंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में संविधान के पार्ट IX व IXA के अनुरूप वरीयता प्रदान की जानी चाहिये। जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेंगी, परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को, जिन्होने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नही किया हैं, पुनः सम्मिलित नही किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य समस्त बहुराज्यीय (**Multistate**) सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयं सेवी संगठनों (**NGO's**)/सहकारी संघो/सहकारी समितियों/ निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।
<u>प्रस्तर-3.8</u> इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 150.00 लाख रुपये का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदल सकते हैं, और ऐसे	**<u>प्रस्तर-3.8</u>** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 1.50 करोड़ रुपये का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदल सकते हैं, और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए मुख्य विकास अधिकारी इस संबंध में पूर्व और वर्तमान मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे।	है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए मुख्य विकास अधिकारी इस संबंध में मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला योजना में तैयार किये गये कार्यों की सूची मा0 विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि जिला योजना में चिन्हित कार्यों में से, जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते हैं, उन कार्यो को कार्यान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि सम्बन्धित मा0 सदस्य की अनुशंसा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।
<u>प्रस्तर-4.1</u> विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग चिन्हित किए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रु0 25.00 लाख से अधिक न हो। विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा कार्यों के प्रस्ताव की सम्पूर्ण लागत की संस्तुति की जायेगी। किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नहीं की जायेगी।'	**<u>प्रस्तर-4.1</u>** विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रू0 1.50 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो। किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुये, उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नहीं की जायेगी। किसी भी संस्था/ईकाई को रू0 25.00 लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जा सकेंगे।
<u>प्रस्तर-4.2</u> इन्ट्री टैक्स से प्राप्त होने वाली धनराशि ही विधायक निधि में संचयित	**<u>प्रस्तर-4.2</u>** इन्ट्री टैक्स से प्राप्त होने वाली धनराशि ही विधायक निधि में संचयित की जायेगी। इसकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा 260 करोड. रू0 होगी। इन्ट्री टैक्स की प्राप्ति के उपरान्त की धनराशि पी0एल0ए0 में अन्तरित की जायेगी। चूॅकि इस धनराशि से निर्माण कार्य कराये जाने होगें अतः अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः-

प्रथम त्रैमास में 35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में 15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास में 35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में 15 प्रतिशत

वर्ष 1998-99 के लिए अन्तरित की जाने वाली धनराशि 50 प्रतिशत की दर से दो किश्तों में होगी।

यह धनराशि डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और व्यपगत नहीं होगी।

विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि के आडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई धनराशि की आडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल,मई) के अन्दर ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी नागरिको को उपलबध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद के डी0आर0डी0ए0 द्वारा उक्त विवरण विधान मण्डल क्षेत्र अधिकतम सीमा रू0 756.00 करोड़ होगी। इन्ट्री टैक्स की प्राप्ति के उपरान्त की धनराशि पी0एल0ए0 में अन्तरित की जायेगी। चूंकि इस धनराशि से निर्माण कार्य कराये जाने होगें, अतः अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः-

प्रथम त्रैमास में 35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में 15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास में 35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में 15 प्रतिशत

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अन्तरित की जाने वाली धनराशि 50 प्रतिशत की दर से दो किश्तों में होगी।

यह धनराशि डी0आ0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और व्यपगत नहीं होगी।

विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि के आडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। समस्त जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का लेखा-परीक्षण सी0ए0जी0 द्वारा कराया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई धनराशि की आडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल,मई) के अन्दर ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी नागरिको को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त विवरण विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की वेवसाइट एनआईसी के माध्यम से तैयार कर अपलोड कराया जायेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए कराये गये कार्यों की

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विकास निधि की वेवसाइट एनआईसी के माध्यम से तैयार कराकर अपलोड कराया जायेगा।	जॉच प्रदेश एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी के माध्यम से करायी जायेगी, जो अपनी रिपोर्ट क्रमशः शासन एवं जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी को सौंपेगी। मुख्य विकास अधिकारी के अलावा संयुक्त विकास आयुक्त/जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)/उपायुक्त, मनरेगा/उपायुक्त, एन0आर0 एल0एम0 से भी 5-5 प्रतिशत निरीक्षण कराया जाये।
<u>परिशिष्ट-2 के बिन्दु संख्या-8(क)</u> विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट का पदाधिकारी है और उक्त संस्था निजी लाभ के लिए चलायी जा रही है, परन्तु जहां ऐसी संस्था सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हो, वहां विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर 4.1 की सीमा के अधीन कार्य प्रस्तावित किये जा सकते हैं।	**<u>परिशिष्ट-2 के बिन्दु संख्या-8(क)</u>** विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ ट्रस्ट का पदाधिकारी है। किसी भी संस्था को रू0 25.00 लाख की धनराशि से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना में रू0 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिये अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

4- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

एन0एस0रवि
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2017/320 (1)/अड़तीस-9-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।

3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग/कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।

8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

9- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

11- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

12- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

13- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।

14- याची श्री सत्य नारायण शुक्ल, आई0ए0एस0 (से0नि0), महासचिव, लोक प्रहरी, पता- बी-7, निराला नगर, लखनऊ।

15- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

16- ग्राम्य विकास अनुभाग-3

17- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।